



अनुलग्नक 3.1 (पैराग्राफ 3.1.1 के संदर्भ में) प्राधिकरण एवं व्यय

	मूल	अनुपूरक		वास्तविक	बचत (-)
व्यय की प्रकृति	अनुदान/विनियोग	अनुदान/विनियोग	कुल	संवितरण	आधिक्य (+)
		क -सिविल			
दत्तमत					
राजस्व	17,88,907.74	96,111.21	18,85,018.95	16,87,279.89	(-)1,97,739.06
पूंजीगत (ऋण व अग्रिम	3,68,488.58	20,721.56	3,89,210.14	3,09,748.68	(-)79,461.46
के साथ)					
कुल	21,57,396.32	1,16,832.77	22,74,229.09	19,97,028.57	(-)2,77,200.52
प्रभारित					
राजस्व	8,01,080.15	3,612.74	8,04,692.89	7,86,454.31	(-)18,238.58
प्ंजी (ऋण, अग्रिम व लोक ऋण सहित)	60,03,175.68	3,68,560.92	63,71,736.60	63,51,406.60	(-)20,330.00
कुल	68,04,255.83	3,72,173.66	71,76,429.49	71,37,860.91	(-)38,568.58
क्ल योग	89,61,652.15	4,89,006.43	94,50,658.58	91,34,889.48	(-)3,15,769.10
ट्यय को कम करने वाली व			4,43,930.18	3,60,293.53	
	.,	निविल प्रावधान	90,06,728.40		
	<u>3</u>	निविल व्यय		87,74,595.95	
	3	ख - डाक			
दत्तमत					
राजस्व	30,411.20	1,099.39	31,510.59	29,139.65	(-)2,370.94
पूंजीगत	947.74		947.74	730.56	(-)217.18
कुल	31,358.94	1,099.39	32,458.33	29,870.21	(-)2,588.12
प्रभारित					
राजस्व	0.80		0.80	0.09	(-)0.71
पूंजीगत					
कुल	0.80		0.80	0.09	(-)0.71
क्ल योग	31,359.74	1,099.39	32,459.13	29,870.30	(-)2,588.83
ट्यय को कम करने वाली			857.35	768.40	
वसूलियां					
वसूलियां	कुल	। निविल प्रावधान	31,601.78		

					र कराड़ म)
 व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/	अनुप्रक	कुल	वास्तविक	बचत (-)
אין אַלוּווי אַרָּי	विनियोग	अनुदान/विनियोग	3.41	संवितरण	आधिक्य (+)
		ग - रक्षा सेवाएं			
दत्तमत					
राजस्व	2,22,254.47	3,997.67	2,26,252.14	2,23,196.47	(-)3,055.67
पूंजीगत	1,03,310.96	6,988.46	1,10,299.42	1,11,000.73	(+)701.31
कुल	3,25,565.43	10,986.13	3,36,551.56	3,34,197.20	(-)2,354.36
प्रभारित					
राजस्व	102.92	2.33	105.25	44.36	(-)60.89
पूंजीगत	83.35	11.55	94.90	91.70	(-)3.20
कुल	186.27	13.88	200.15	136.06	(-)64.09
क्ल योग	3,25,751.70	11,000.01	3,36,751.71	3,34,333.26	(-)2,418.45
व्यय को कम करने वाली वस्ति	नेया <u>ं</u>		13,569.68	7,943.55	
~	कुल निविल	। प्रावधान	3,23,182.03		
	कुल निविल	ा व्यय		3,26,389.71	
		_ _			
		घ - रेलवे			
दत्तमत					
राजस्व	2,72,235.40		2,72,235.40	2,28,445.37	(-)43,790.03
पूंजीगत	2,27,394.24	0.02	2,27,394.26	2,14,557.30	(-)12,836.96
कुल	4,99,629.64	0.02	4,99,629.66	4,43,002.67	(-)56,626.99
प्रभारित					
राजस्व	474.28		474.28	418.91	(-)55.37
पूंजीगत	36.31	817.49	853.80	791.95	(-)61.85
कुल	510.59	817.49	1,328.08	1,210.86	(-)117.22
कुल योग	5,00,140.23	817.51	5,00,957.74	4,44,213.53	(-)56,744.21
ट्यय को कम करने वाली वसूरि	नेयां		2,15,168.92	1,99,546.72	
	कुल निविल	। प्रावधान	2,85,788.82		
	कुल निविल	ा ट्यय		2,44,666.81	
3	नेयां कुल निविल	। प्रावधान	2,15,168.92	1,99,546.72	

	कुल						
कुल सी	दत्तमत	30,13,950.33	1,28,918.31	31,42,868.64	28,04,098.65	(-)3,38,769.99	
एफ आई	प्रभारित	68,04,953.49	3,73,005.03	71,77,958.52	71,39,207.92	(-)38,750.60	
सी एफ आई का कुल योग 98,18,903.82			5,01,923.34	103,20,827.16	99,43,306.57	(-)3,77,520.59	
व्यय को कम करने वाली वस्लियां				6,73,526.13	5,68,552.20		
विनियोग लेखे	वे के अनुसार कु	त्र प्रावधान व		96,47,301.03	93,74,754.37		
व्यय							
वित्तीय लेखे	से भिन्नता						
वित्तीय लेखे के अनुसार सी एफ आई से कुल					93,74,754.37		
संवितरण							

नोटः प्रभारित व दत्तमत व्यय के प्रावधानों को क्रमशः विनियोग एवं अनुदान कहा जाता है। सी एफ आई-भारत की समेकित निधि

अनुलग्नक 3.2 (पैराग्राफ 3.2.2 के संदर्भ में) ₹100 करोड़ या अधिक की बचत

				(६ कराड़ म)
		संस्वीकृत		संस्वीकृत प्रावधान के
क्रम.स.	अनुदान/विनियोग सं.तथा विवरण	प्रावधान	बचत	प्रतिशत के
				रूप में बचत
राजस्व ((दत्तमत)			
1.	1-कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	1,30,450.60	35,952.80	27.56
2.	2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	8,078.79	233.80	2.89
3.	4-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	2,445.61	612.01	25.02
4.	8-नागर विमानन मंत्रालय	4,475.01	849.56	18.98
5.	9-कोयला मंत्रालय	1,159.06	336.06	28.99
6.	12-डाक विभाग	31,510.59	2,370.94	7.52
7.	13-दूरसंचार विभाग	30,693.65	4,301.21	14.01
8.	14-उपभोक्ता मामले विभाग	2,240.34	311.40	13.90
9.	15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	1,90,914.29	76,983.15	40.32
10.	17-संस्कृति मंत्रालय	2,953.24	518.74	17.57
11.	19-रक्षा सेवाएं (राजस्व)	2,26,252.14	3,055.67	1.35
12.	22-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2,316.89	292.88	12.64
13.	23-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1,765.07	144.68	8.20
14.	24-इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6,306.04	774.34	12.28
15.	25-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2,998.25	424.45	14.16
16.	26- विदेश मंत्रालय	16,511.21	445.03	2.70
17.	27-आर्थिक कार्य विभाग	3,803.48	327.89	8.62
18.	29-वित्तीय सेवाएं विभाग	1,678.99	643.58	38.33
19.	32-प्रत्यक्ष कर	7,218.40	263.02	3.64
20.	33-अप्रत्यक्ष कर	7,493.15	233.36	3.11
21.	37-पेंशन	51,179.90	1,413.32	2.76
22.	38-राज्यों को अंतरण	32,480.01	6,285.93	19.35
23.	39-मत्स्यपालन विभाग	790.59	130.41	16.50
24.	40-पशुपालन एवं डेयरी विभाग	3,319.68	194.31	5.85
25.	41-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,196.62	351.08	29.34
26.	42-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	90,145.37	23,569.81	26.15
27.	43-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	3,424.67	1,563.69	45.66
28.	46-गृह मंत्रालय	16,803.88	173.42	1.03
29.	48-पुलिस	94,998.38	484.46	0.51

30.	56-आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	35,421.34	12,467.77	35.20
31.		1,02,597.83	15,077.00	14.70
32.	57-विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग 58-उच्चतर शिक्षा विभाग	52,058.90	17,227.26	33.09
		4,361.68	333.61	7.65
33.	59-सूचना और प्रसारण मंत्रालय	7,890.16	710.27	9.00
34.	60-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	7,050.10	710.27	2.00
35.	61-पेय जल और स्वच्छता विभाग	27,766.73	1,750.16	6.30
	62-श्रम और रोजगार मंत्रालय	11,151.70	1,097.29	9.84
36.		6,984.29	281.88	4.04
37.	66-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 67-खान मंत्रालय	1,717.98	332.68	19.36
38.	68-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	4,600.01	254.91	5.54
39.		5,209.85	1,718.71	32.99
40.	69-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	871.37	373.10	42.82
41.	70-पंचायती राज मंत्रालय	43,834.55	1,593.91	3.64
42.	74-पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	19,534.36	891.77	4.57
43.	76-विद्युत मंत्रालय	807.83	158.29	19.59
44.	78-लोक सभा	2,72,235.40	43,790.03	16.09
45.	82-रेलवे मंत्रालय	21,619.84	3,321.11	15.36
46.	83-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2,07,774.04	2,951.81	1.42
47.	84-ग्रामीण विकास विभाग	2,227.24	692.12	31.08
48.	85-भू-संसाधन विभाग	5,564.10	160.34	2.88
49.	86-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2,580.35	221.58	8.59
50.	87-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	2,071.23	424.85	20.51
51.	89-पोत परिवहन मंत्रालय	2,926.13	604.43	20.66
52.	90-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	8,430.04	146.63	1.74
53.	91-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	1,163.71	148.45	12.76
54.	92-दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग		306.97	5.88
55.	94-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	5,216.35 4,800.62	399.45	8.32
56.	96-वस्त्र मंत्रालय		790.02	36.09
57.	97-पर्यटन मंत्रालय	2,189.23 29,664.93		21.86
58.	99-महिला और बाल विकास मंत्रालय	29,004.93	6,485.33	21.80
राजस्व	(प्रभारित) 	6 72 470 60	19 009 50	2.60
59.	35-ब्याज अदायगियां	6,73,470.60	18,098.59	2.69
59. पूंजीगत	35-ब्याज अदायगियां (दत्तमत)			
59. पूंजीगत 60.	35-ब्याज अदायगियां (दत्तमत) 3-परमाणु ऊर्जा	9,579.69	120.92	1.26
59. पूंजीगत 60. 61.	35-ब्याज अदायगियां (दत्तमत) 3-परमाणु ऊर्जा 12-डाक विभाग	9,579.69 947.74	120.92 217.18	1.26 22.92
59. पूंजीगत 60. 61.	35-ब्याज अदायगियां (दत्तमत) 3-परमाणु ऊर्जा 12-डाक विभाग 15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	9,579.69 947.74 51,326.14	120.92 217.18 50,083.03	1.26 22.92 97.58
59. पूंजीगत 60. 61. 62. 63.	35-ब्याज अदायगियां (दत्तमत) 3-परमाणु ऊर्जा 12-डाक विभाग 15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग 26- विदेश मंत्रालय	9,579.69 947.74 51,326.14 1,373.56	120.92 217.18 50,083.03 167.68	1.26 22.92 97.58 12.21
59. पूंजीगत 60. 61.	35-ब्याज अदायगियां (दत्तमत) 3-परमाणु ऊर्जा 12-डाक विभाग 15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	9,579.69 947.74 51,326.14	120.92 217.18 50,083.03	1.26 22.92 97.58

66.	42-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	2,945.23	146.00	4.96	
67.	48-पुलिस	10,811.91	1,894.10	17.52	
68.	56-आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	19,551.89	292.74	1.50	
69.	74-पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1,667.31	1,095.72	65.72	
70.	76-विधुत मंत्रालय	3,365.93	873.42	25.95	
71.	82-रेलवे मंत्रालय	2,27,394.26	12,836.96	5.65	
72.	83-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1,44,986.82	11,124.20	7.67	
पूंजीगत (प्रभारित)					
73.	36-ऋण पुर्नअदायगी	63,46,389.00	19,840.23	0.31	
74.	38-राज्यों को अन्तरण	25,100.00	432.06	1.72	
		कुल	4,07,358.03		

अनुलग्नक 3.3 (पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में) लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

				(र कराड़ म)
क्रम.	अनुदान	लघु / उप-शीर्ष	अनुपूरक	बचत
सं	सं		प्रावधान	
1	12	3201.07.101.01 - अधिवर्षिता और सेवानिवृति भत्ते	11.05	327.92
2	16	3451.00.090.05 - कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	11.33	23.78
3	19	2076.00.103-वेतन एवं भत्ते और सहायक बल के विविध व्यय	60.00	203.71
4	19	2076.00.104- नागरिको के वेतन और भत्ते	100.00	496.12
5	19	2076.00.109-निरीक्षण संगठन	84.00	199.71
6	19	2076.00.111-कार्य	14.42	182.45
7	19	2076.00.113-राष्ट्रीय कैडेट कोर	11.80	66.53
8	19	2077.00.104- नागरिको के वेतन और भत्ते	94.93	338.04
9	19	2077.00.112- संयुक्त स्टॉफ	89.72	417.78
10	20	4076.01.103- अन्य उपकरण	154.51	853.51
11	20	4076.08.209-निर्माण पक्रिया के तहत आदिप्ररुप विकास के लिए सहायता	33.50	79.83
12	27	3466.00.109.01- एशियाई विकास निधि (ए डी एफ) मे अंशदान	12.36	12.37
13	27	5466.00.207.02- मूल्य दायित्व का रखरखाव (एम ओ वी)	858.02	958.02
14	27	5466.00.212.01- यूरोपियन बैंक के पुनर्निमाण व विकास (ई बी आर डी) के लिए अभिदान	28.00	28.00
15	27	7610.00.201.01- मंत्रालयों और केन्द्रशासित प्रदेशों का प्रशासन	25.00	58.45
16	31	2052.00.090.11- राजस्व विभाग	17.10	23.31
17	40	2404.00.102.23- श्वेत क्रान्ति	18.63	47.97
18	48	2055.00.103.01- स्थापना व प्रशासन	35.35	368.73
19	71	2052.00.090.13- संसदीय कार्य मंत्रालय	23.24	23.72
20	74	2802.02.800.02- भारत का गैस प्राधिकरण-फुलपुर धमरा हल्दीया पाइप लाइन परियोजना	345.51	1,552.11
21	83	5054.01.337.06- केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि से वित्तपोषित विधान के बिना केन्द्र प्रशासित सरकार	63.82	86.09
22	89	5051.02.200.01- भूमि देने की सुविधाएं व जैटीज का निर्माण	13.40	26.56

23	93	5402.00.101.07- लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सैंटर (एल पी एस सी)	20.00	35.73
24	93	5402.00.101.48- ईसरो प्रोपल्सन कॉमपलेक्स (आई पी आर सी)	25.21	66.29
25	100	2204.00.103.01- युवा छात्रावास	18.00	18.97
		- कुल	2,168.90	6,495.70

अनुलग्नक 3.4 (पैराग्राफ 3.4 के संदर्भ में)

लघु/उप-शीर्षों का पुनर्विनियोग जो उपयोग ना करने के कारण विवेकहीन थे (₹10 करोड़ और अधिक का पुनर्विनियोग)

			(र कराड़ म)
अनुदान/विनियोग	लघु /उप-शीर्ष	शीर्ष के लिए पुनर्वियोगित राशि	शीर्ष के तहत अन्तिम बचत
12 - डाक विभाग	3201.07.107.01 - पारिवारिक पेंशन	55.95	63.82
19-रक्षा सेवाएं	2076.00.111-कार्य	109.47	291.92
(राजस्व)	2080.00.800-अन्य व्यय	10.07	14.04
27- आर्थिक कार्य विभाग	3605.00.800.07- इंडो-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहकारिता	11.05	21.06
	2037.00.101.01- समुद्र सीमा शुल्क-मुख्य बंदरगाह	17.39	43.82
33- अप्रत्यक्ष कर	4216.01.108.04- सीमा शुल्क और सी जी एस टी आयुक्तालय के लिए आवासीय भवनों का निर्माण	10.40	20.80
	2049.03.104.01- सामान्य भविष्य निधि	928.04	1,064.48
35- ब्याज	2049.60.101.02- राष्ट्रीय रक्षा निधि	10.59	18.44
अदायगीयां	2049.60.701.05- आई एम एफ से उधार के लिए नए समझौते पर ब्याज	15.65	27.83
07 30-	2071.01.101.01- साधारण पेंशन	905.00	1,015.90
37- पेंशन	2071.01.104.04- साधारण पेंशन (ए आई एस)	10.00	17.26
42- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2210.01.789.01- आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी एम जे ए वाई) - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण	11.00	162.00
विभाग	2210.01.796.02- आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी एम जे ए वाई) - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण	22.00	81.00
63- विधि और न्याय	4070.00.101.01- चुनाव आयोग के लिए ई वी एम	50.00	50.04
	कुल	2166.61	2,892.41

अनुलग्नक 3.5 (पैराग्राफ 3.5 के संदर्भ में)

निधियों के पर्याप्त प्रावधान के बिना किया गया व्यय

				(₹ करोड़ में)
क्रम.	लघु/उप शीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक	अंतिम
सं.			व्यय	आधिक्य व्यय
अनुदान र	नंख्या-12 - डाक विभाग			
1	3201.02.101.01 - मौजूदा डाक कार्यालय	8,323.34	8,479.94	156.60
2	3201.02.101.10 - ग्रामीण डाक सेवक	5,129.50	5,167.46	37.96
3	3201.02.102.01 - डाक छटाई	1,406.84	1,438.53	31.69
4	3201.02.103.01 - रेल	84.00	130.02	46.02
5	3201.07.101.03 - पूर्ववर्ती संयुक्त पी एंड टी विभाग के पेंशनरों को भुगतान	21.40	57.86	36.46
6	3201.07.104.01 - उपदान	727.99	908.01	180.02
7	3201.07.110.01 - लेखापरीक्षा स्टाफ को छोडकर, निर्धारित अंशदान पेंशन योजना हेतु सरकार का अंशदान	488.20	521.36	33.16
8	3201.60.102.02 - अतिरिक्त विभागीय एजेंट समूह बीमा निधि पर ब्याज	0.00	38.26	38.26
अनुदान र	नंख्या-13 - दूरसंचार विभाग			
9	2071.01.104.01- साधारण पेंशन	2,079.77	2,259.76	179.99
10	2071.01.105.02- पारिवारिक पेंशन	1,775.80	1,839.17	63.37
11	3275.00.103.01- सेवाप्रदाता को क्षतिपूर्ति	2,797.00	2,854.47	57.47
अनुदान र	तंख्या-18 - रक्षा मंत्रालय (सिविल)			
12	2052.00.090.56- सीमा सड़क संगठन	2,608.16	2,733.75	125.59
13	2055.00.104.02- जम्मू कश्मीर लाईट इंफेन्टरी (जे ए के एल आई) के संबंध में प्रभारों का भुगतान	1,388.95	1,449.27	60.32
अनुदान र	नंख्या-19 - रक्षा सेवाएं (राजस्व)			
14	2077.00.105-परिवहन	542.71	614.74	72.03
15	2077.00.106-मरम्मत एवं दुरूस्त	1,699.80	1,848.16	148.36
16	2077.00.110- भंडार	5,884.18	6,139.88	255.70
17	2077.00.800- अन्य व्यय	771.87	822.04	50.17
18	2078.00.101- वायु सेना के वेतन और भत्ते	15,337.54	15,458.27	120.73
19	2078.00.110- भंडार	9,758.83	9,841.00	82.17
अनुदान र	तंख्या-20 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
20	4076.02.103-अन्य उपकरण	3,600.00	4,011.90	411.90
21	4076.02.202-निर्माण कार्य	1,000.00	1,073.04	73.04

22	4076.02.204-नौसैनिक बेड़ा	15,483.06	16,002.42	519.36
23	4076.02.205- नौसैनिक डॉकयार्ड	4,012.00	4,336.61	324.61
24	4076.03.101-ऐयर क्राफ्ट और एयरो-इंजन	23,326.52	23,449.47	122.95
25	4076.03.103-अन्य उपकरण	18,395.93	18,434.67	38.74
अनुदान र	संख्या- 21- रक्षा पेंशन			
26	2071.02.101.01- पेंशन और अन्य	95,124.38	95,159.94	35.56
	सेवानिवृति लाभ			
27	2071.02.103.03- छुट्टी नकदीकरण	799.69	846.46	46.77
अनुदान र	संख्या- 31 - राजस्व विभाग			
28	3601.08.797.02- वस्त् और सेवा कर	1,12,200.00	1,43,897.00	31,697.00
	क्षतिपूर्ति निधि में स्थानांतरण			
29	3602.08.797.02- वस्तु और सेवा कर	8,298.29	10,013.29	1,715.00
	क्षतिपूर्ति निधि में स्थानांतरण			
विनियोग	संख्या- 35 - ब्याज भ्गतान			
30	2049.01.122- 1.4.99 से लघु बचतों निवल	20,598.12	21,822.89	1,224.77
	संग्रहण के प्रति जारी भारत सरकार की संघ			
	सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश पर			
	<u>ब्याज</u>			
31	2049.01.130- स्वर्ण मुद्रीकरण योजना पर	65.00	134.84	69.84
	ब्याज, 2015			
32	2049.01.305- ऋण प्रबंधन	2,086.82	2,127.91	41.09
33	2049.03.104.02 अन्य राज्यों की भविष्य	4,313.54	6,286.26	1,972.72
	निधि			
विनियोग	संख्या- 36 - ऋण का पुर्नभुगतान			
34	6001.00.105.02- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	4,723.10	5,086.20	363.10
35	6002.00.217- जापान सरकार से ऋण	5,893.15	5,939.04	45.89
अनुदान र	संख्या- 37 - पेंश न			
36	2071.01.115.01- साधारण पेंशन	2,150.00	2,203.70	53.70
37	2071.01.120.01- दिल्ली एन सी टी सरकार	2,713.00	2,788.66	75.66
	से वसूली योग्य पेंशन प्रभार			
अनुदान र	संख्या- 42 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभा	ग		
38	2210.05.105.33- क्षेत्रीय स्नातकोतर केन्द्र,	864.61	932.54	67.93
	जवाहरलाल स्नातकोतर चिकित्सा शिक्षा और			
	अनुसंधान संस्थान (जे आई पी एम ई आर)			
	पुदुचेरी			
39	3601.06.789.13- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य	181.63	237.39	55.76
	मिशन			
40	4210.03.797.02- केन्द्रीय सड़क व	1,087.30	1,132.33	45.03
	अवसंरचना (सी आर ई एफ) निधि से सहयोग			

अनुदान संख्या- 84 - ग्रामीण विकास विभाग						
41	2505.02.797.01- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी	71,001.81	71,687.71	685.90		
	निधि मे हस्तांतरण					
42	3602.06.797.04 - केन्द्रीय सड़क	5.00	353.00	348.00		
	निधि/केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में					
	हस्तांतरण					
	कुल			41,810.39		

अनुलग्नक 3.6 (पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

वित्त वर्ष के अंतिम दिन में बचत का अश्यर्पण तथा गैर अश्यर्पण

*(र*करोड़ में)

					<i>(र</i> करोड़ मे <i>)</i>
क्रम	भूतरान गांतम और विकास	क्य क्य	कुल	अंतिम दिन पर	राशि अभ्यर्पित
सं.	अनुदान संख्या और विवरण	कुल बचत	अ भ्यार्पित	अभ्यार्पित राशि	नहीं की गई
1.	01-कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	35,973.85	34,517.70	34,517.70	1,456.15
2.	04-आयुष मंत्रालय	612.22	588.76	588.76	23.46
3.	09-कोयला मंत्रालय	336.06	336.05	336.05	0.01
4.	12-ड़ाक विभाग	2,588.83	2,422.00		166.83
5.	17-संस्कृति मंत्रालय	541.99	495.35	495.35	46.64
6.	27-आर्थिक कार्य विभाग	12,378.93	7,672.48	7,672.48	4,706.45
7.	29-वित्तीय सेवाएं विभाग	650.51	648.14	124.10	2.37
8.	32-प्रत्यक्ष कर	337.72	244.80	244.80	92.92
9.	33-अप्रत्यक्ष कर	365.26	110.79		254.47
10.	36-ऋण पुर्नअदायगी	19,840.23			19,840.23
11.	37-पेंश न	1,432.56			1,432.56
12.	38-राज्यों को अंतरण	6,718.00	5,876.00	5,876.00	842.00
13.	42-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	23,715.81	22,492.24	22,492.24	1,223.57
14.	43-स्वास्थ्य अन्संधान विभाग	1,563.69	1,490.62	1,490.62	73.07
15.	48-प्लिस	2,387.35	1,616.18	171.76	771.17
16.	57-विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	15,077.00	3,909.30	3,909.30	11,167.70
17.	58-उच्चतर शिक्षा विभाग	17,242.27	1,278.49	1,278.49	15,963.78
18.	61-पेयजल और स्वच्छता विभाग	1,750.16	1,752.09*	1,752.09	
19.	62-श्रम और रोजगार मंत्रालय	1,104.21	1,018.63	1,018.63	85.58
20.	66-सूक्ष्म, लघ् और मध्यम उद्यम मंत्रालय	293.77	285.35	285.35	8.42
21.	67-खान मंत्रालय	358.87	354.69	354.69	4.18
22.	68-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	254.93	251.82	251.82	3.11
23.	74-पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	2,689.63	1,139.13	90.87	1,550.50
24.	76-विध्त मंत्रालय	1,765.19	1,763.83	1763.83	1.36
25.	83-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	14,455.31	12,513.00	12,513.00	1,942.31
26.	84-ग्रामीण विकास विभाग	3,039.29	440.21	440.21	2,599.08
27.	85-भ्-संसाधन विभाग	692.12	692.64*	6.13	
28.	90-कौशल विकास और उद्धमिता मंत्रालय	631.41	585.58	585.58	45.83
29.	91-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	146.66	139.08	139.08	7.58
30.	92-दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	188.74	188.74	188.74	
31.	94-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	311.78	311.21	311.21	0.57
32.	96-वस्त्र मंत्रालय	402.14	357.67	357.67	44.47
33.	99-महिला और बाल विकास मंत्रालय	6,490.10	6,465.46	6,465.46	24.64
			कुल	1,05,722.01	64,381.01
			3		

*बचत से ज्यादा अभयर्पित राशि।

अनुलग्नक 3.7 (पैराग्राफ 3.8.1 के संदर्भ में) वस्तु शीर्ष का मुख्य शीर्ष के साथ गलत प्रयोग

अनुदान का	मुख्य भीर्ष	मद शीर्ष	व्यय (₹ करोड में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
विवरण 03-परमाणु ऊर्जा विभाग	शीर्ष 2852 3401 4801 4861 5401	51/52/60 51/52 21 21 21 21	(₹ करोड़ में) 16.76 10.21 1.26 2,147.85 320.15	विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि व्यय भले ही पूंजीगत प्रकृति का प्रतीत हो रहा हो वास्तव में प्रचालनात्मक व अनुरक्षण प्रभारों से सम्बन्धित था, इसलिए इसे तदानुसार राजस्व खंड में दर्ज कर दिया गया था। यह भी कहा गया था कि राजस्व प्रकृति के व्यय को पूंजीगत परियोजनाओं के निष्पादन के लिये माना गया था तथा इसलिये तदनुसार वर्गीकृत किया गया था। यह भी कहा गया था कि विभाग को डी एफ पी आर के दायरे (परीधि) से छूट प्राप्त थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त मंत्रालय ने परमाणु ऊर्जा विभाग को सलाह दी थी (सितम्बर 2017) कि वह विस्तारित नियमों के अनुरुप राजस्व व पूंजीगत व्यय तथा सम्बन्धित मद शीर्ष की पुनः परिभाषा
89-पोत परीवहन मंत्रालय	5052	13	2,505.13	निर्धारित करें। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2020) कि डी जी शिपिंग मुम्बई की एल आर आई टी परियोजना के सम्बंध में सूचना प्रोद्योगिकी व्यय गल्ती से राजस्व खंड (3052.80.001.01.01.13), में दर्ज किया गया था बाद में इसे पूंजीगत खंड (5052.80.800.09.99.13) के तहत हस्तांतरण प्रविष्टी द्वारा पुनः दर्ज किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मद शीर्ष-13 (कार्यालय व्यय) में अपेक्षित है कि इसका उपयोग राजस्व मुख्य शीर्ष के साथ किया जाये और मंत्रालय अनुदान के पूंजीगत खंड में मद शीर्ष 52 (मशीनरी व उपस्कर) के अन्तर्गत व्यय का प्रावधान करे तथा दर्ज करे।

अनुलग्नक 3.8 (पैराग्राफ 3.8.2 के संदर्भ में) राजस्व व पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

क्रम सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)					
••	पूंजीगत व्यय के रुप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण						
1.	93- अंतरिक्ष विभाग	2.92					
	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन पी एल) दिल्ली से समय व आवृत्ति का पता लगाने की क्षमता में						
सहायता प्राप्त करने में पी ए ओ आई एस टी आर ए सी द्वारा किया गया ₹2.92 करोड़ का व्यय राजस्व खंड के सही मद शीर्ष 30-अन्य संविदात्मक सेवायें (3402.00.101.26.00.30) के तहत दर्ज करने के बजाय पूंजीगत खंड में मद शीर्ष 52-मशीनरी व उपस्कर (5402.00.101.18.00.52) के अंतर्गत दर्ज किया गया था। विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि मद कोड प्रविष्टी में गलत कार्य के कारण तृटि हुई थी तथा भविष्य में अनुपालन हेतु टिप्पणी पर ध्यान दिया जायेगा।							
	ाय के रुप में पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण						
1.	82-रेलवे	1.12					
उत्तरी रेलवे में सामग्री लागत में ₹1.12 करोड़ का व्यय पूंजीगत प्रमुख शीर्ष -5002 and 5003 (लघु शीर्ष 2100-रोलिंग स्टाक) के बजाय गलती से राजस्व मुख्य शीर्ष -3002 और 3003, उप मुख्य शीर्ष में दर्ज किया था।							
2.	82-रेलवे	1.36					
दक्षिण मध्य रेलवे में कार्य प्रभारित पद के वेतन एवं भत्ते पूंजीगत मुख्य शीर्ष -5002 and 5003 के बजाय राजस्व मुख्य शीर्ष- 3002 व 3003, में गल्ती से दर्ज किये गये थे।							
3.	82-रेलवे	1.38					
रेलवे पटरी के नवीकरण के सम्बंध में कार्य की लागत को पूंजीगत मुख्य शीर्ष 5002 व 5003 (लघु शीर्ष 3100-पटरी नवीकरण) के बजाय राजस्व मुख्य शीर्ष 3002 व 3003 उप मुख्य शीर्ष-06 में गलती से दर्ज किया गया था।							
4.	93-अंतरिक्ष विभाग	44.74					
नौ प्रकरणों में, कुल ₹44.74 करोड़ का व्यय राजस्व खंड के अन्तर्गत मद शीर्ष 21-आपूर्ति एवं सामग्री के तहत गलती से दर्ज किया गया था, जिसे विस्तारित आदेशों में पूंजीगत खंड के अन्तर्गत मद शीर्ष 60-अन्य पूंजीगत व्यय में दर्ज किया जाना चाहिये था।							
	विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि वर्तमान में क्षमताओं, प्रेरकों व खपत योग्य आदि को बढाने के						

विभाग न बताया (सितम्बर 2020) कि वतमान में क्षमताओं, प्ररक्ता व खपत याग्य आदि का बढ़ान के लिये विकसित गतिविधियों पर व्यय किया गया था तथा इसलिए मद शीर्ष 21-आपूर्ति व सामग्री के तहत दर्ज किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। अंतरिक्ष विभाग के आदेशानुसार (अप्रैल 2007), सैटेलाइट के प्रकरण में जिसको एक वर्ष से अधिक जीवन है (प्रत्येक सैटेलाइट के लिये लांच सेवा शामिल) की आपूर्ति व सामग्री से संबंधित व्यय मद शीर्ष 60-अन्य पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।

क्रम सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
5.	93-अंतरिक्ष विभाग	3.51

दो प्रकरणों में, कुल ₹3.51 करोड़ का व्यय राजस्व खंड के अंतर्गत मद शीर्ष 50-अन्य प्रभारों के तहत गलती से बुक किया गया था जिसे विस्तारित आदेशों के अंतर्गत पूंजीगत खंड के तहत मद शीर्ष 60-अन्य पूंजीगत व्यय में दर्ज किया जाना चाहिये था।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि वर्तमान की क्षमताओं, प्रेरकों व खपत योग्य आदि को बढ़ाने के लिये विकसित गतिविधियों पर व्यय किया गया था और इसीलिये मद शीर्ष 50-अन्य प्रभारों के तहत दर्ज किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। अंतरिक्ष विभाग के आदेशानुसार (अप्रैल 2007), सैटेलाइट के प्रकरण में जिसको एक वर्ष से अधिक जीवन है (प्रत्येक सैटेलाइट के लिये लांच सेवा शामिल) की आपूर्ति व सामग्री से संबंधित व्यय मद शीर्ष 60-अन्य पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।